

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :- सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :- 232/2022

दायर दिनांक :- 16.12.2022

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2022/296

निर्णय दिनांक :- 09.12.2024

1. जड़ाव पत्नी जोधाराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
2. रामरख पुत्र जोधाराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
3. शंकरलाल पुत्र जोधाराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी

-वादी

बनाम

1. हरचंद पुत्र बरसींगाराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
2. हरभज पुत्र बरसींगाराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
3. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा बाप तहसील बाप जिला फलोदी
4. शाखा प्रबन्धक यूको बैंक शाखा बाप तहसील बाप जिला फलोदी
5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

-प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :-1. श्री राजेन्द्रसिंह सौलकी अधिवक्ता वादी  
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

-:: निर्णय ::-

वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि ग्राम श्रीमन्दरूपनगर पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप में खसरा नम्बर 1640 रकबा 0.0486 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1645 रकबा 12.6181 हैक्टेयर भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 की संयुक्त काश्त भूमि है जिसे वाद पत्र में वादग्रस्त भूमि से संबोधित किया गया है। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का हिस्से अनुसार कब्जा काश्त रहा है, वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 ने उक्त वादग्रस्त भूमि का मौका पर आपसी सहमति से हिस्से माफिक बंटवाड़ा कर लिया था।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली में अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनकर ग्राम श्रीमन्दरूपनगर पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप में खसरा नम्बर 1640 रकबा 0.0486 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1645 रकबा 12.6181 हैक्टेयर भूमि का हिस्सा अनुसार विभाजन प्रस्ताव लाने बाबत प्राथमिक डिक्री जारी की गई। तहसीलदार बाप द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दो प्रतियों में पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली अंतिम बहस में रखी गई।

तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि उनके द्वारा उक्त प्रस्तावित विभाजन

अ  
16.12.2024  
वादी (फलोदी)

प्रस्ताव का अवलोकन कर लिया गया है तथा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव विधि सम्मत एवं माफिक इस्तदुआ होने से स्वीकार किया जावे साथ में यह भी कथन किया कि उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई उजर एतराज नहीं है। प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिक डिक्री जारी किये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया गया एवं तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बाद मनन एवं अवलोकन पाया गया कि प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार तैयार कर तहसीलदार, बाप द्वारा पेश किया गया है। उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने हेतु अधिवक्ता वादीगण द्वारा भी इस्तदुआ की गई है। अतः तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत किये गये विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

### क्रियात्मक आदेश

तहसीलदार बाप द्वारा राजस्व ग्राम श्रीमन्दरूपनगर पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप में खसरा नम्बर 1640 रकबा 0.0486 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1645 रकबा 12.6181 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :-

क्र. सं.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा/हैक्टेयर	किस्म
1	जड़ाव पत्नी जोधाराम 1/3 हि, रामरख पुत्र जोधाराम 1/3 हि, शंकरलाल पुत्र जोधाराम 1/3 हिस्सा जाति विश्‍नोई सा. देह खातेदार, रहन यूको बैंक शाखा बाप रामरख का हिस्सा	श्रीमन्दरूपनगर	1645	4.2223 हैक्टेयर	बी-3
2	हरचन्द पुत्र बरसींगाराम जाति विश्‍नोई सा. देह खातेदार	श्रीमन्दरूपनगर	1640 1645	0.0486 हैक्टेयर 4.1736 हैक्टेयर	बी-3
3	हरभज पुत्र बरसींगाराम जाति विश्‍नोई सा. देह खातेदार रहन एस.बी.आई शाखा बाप	श्रीमन्दरूपनगर	1645	4.2222 हैक्टेयर	बी-3

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 2 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग-अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



09.12.24  
(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.) क्लर्क  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
बाप (फलोदी)

# अंतिम डिगरी बमुकदमें इब्तादाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम बाप जिला फलोदी  
पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

1. जड़ाव पत्नी जोधाराम जाति विश्‍नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
2. रामरख पुत्र जोधाराम जाति विश्‍नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
3. शंकरलाल पुत्र जोधाराम जाति विश्‍नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी

—वादी

## बनाम

1. हरचंद पुत्र बरसींगाराम जाति विश्‍नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
2. हरभज पुत्र बरसींगाराम जाति विश्‍नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
3. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा बाप तहसील बाप जिला फलोदी
4. शाखा प्रबन्धक यूको बैंक शाखा बाप तहसील बाप जिला फलोदी
5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

—प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या 232/2022


यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी व हाजिर राजेन्द्रसिंह सौलकी मिनजानिब मुदई व मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिगरी दी जाती है कि राजस्व ग्राम श्रीमन्दरूपनगर पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप में खसरा नम्बर 1640 रकबा 0.0486 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1645 रकबा 12.6181 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :-

क्र. सं.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा/हैक्टेयर	किस्म
1	जड़ाव पत्नी जोधाराम 1/3 हि, रामरख पुत्र जोधाराम 1/3 हि, शंकरलाल पुत्र जोधाराम 1/3 हिस्सा जाति विश्‍नोई सा. देह खातेदार, रहन यूको बैंक शाखा बाप रामरख का हिस्सा	श्रीमन्दरूपनगर	1645	4.2223 हैक्टेयर	बी-3
2	हरचन्द पुत्र बरसींगाराम जाति विश्‍नोई सा. देह खातेदार	श्रीमन्दरूपनगर	1640 1645	0.0486 हैक्टेयर 4.1736 हैक्टेयर	बी-3
3	हरभज पुत्र बरसींगाराम जाति विश्‍नोई सा. देह खातेदार रहन एस.बी.आई शाखा बाप	श्रीमन्दरूपनगर	1645	4.2222 हैक्टेयर	बी-3

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 2 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग-अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लदठा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा। नीचे

मुतालिक बाबत् खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल यात्री तक को अदा करे।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09.12.2024 को जारी की गई।



09.12.24  
(सुखाराम पिण्डेल R.A.S.) कलेक्टर  
सहायक कलेक्टर (फलोदी)  
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुकमनामा		
बाबत् इजराय हुकमनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।